भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 321 का उत्तर

केरल में के. रेल परियोजना

321. श्री हैबी ईडन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में के. रेल परियोजना की व्यवहार्यता पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जैसा कि दक्षिण रेलवे को केआरडीसी के साथ बातचीत करने के लिए बार-बार दिए गए निर्देशों से संकेत मिलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण रेलवे को उक्त परियोजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए केआरडीसीएल के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा दक्षिण रेलवे को किए गए पत्राचार से यह संकेत मिलता है कि सरकार ने केरल में उक्त परियोजना के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार किए जा रहे कारकों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

केरल में के. रेल परियोजना के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री हैबी ईडन के अतारांकित प्रश्न सं. 321 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): केरल में तिरूवनंतपुरम से कासरगोड तक सिल्वर लाइन केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल), जो केरल राज्य सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा विकास के लिए चिन्हित की गई है। सर्वेक्षण के बाद, केआरडीसीएल ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में कई कमियां हैं। इसलिए, केआरडीसीएल को दक्षिण रेलवे द्वारा उन कमियों को दूर करने और नवीनतम तकनीकी मानकों के अनुसार संशोधित डीपीआर तैयार करने की सलाह दी गई है, जैसे बड़ी लाइन को अपनाना, उपयुक्त बिंदुओं पर मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क के साथ एकीकरण, फ्लैटर रूलिंग ग्रेडिएंट, 160 किमी. प्रति घंटे की गति क्षमता, कवच का प्रावधान, 2x25 केवी के साथ विद्युतीकरण, यार्ड और खंडों के लिए उचित जल निकासी योजना, निर्माण और परिचालन के दौरान पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान आदि। परियोजना को अभी मंजूरी नहीं मिली है।

*****

S.K